



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-16012021-224484
CG-DL-E-16012021-224484

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 179]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 15, 2021/पौष 25, 1942

No. 179]

NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 15, 2021/PAUSHA 25, 1942

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 जनवरी, 2021

का.आ. 199(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 3914 (E) तारीख 29.10.2020, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा महाराष्ट्र राज्य के अहमदनगर जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 160 के कि.मी. 98.250 से कि.मी.116.000 (शिर्डी-सिन्नर सेक्शन) तक के भूखण्ड के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबन्ध और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख "02.12.2020 " को "दैनिक लोकमत (मराठी)" और "दैनिक लोकमत टाइम्स (अंग्रेज़ी)" दोनों में प्रकाशित किया गया था ;

और सक्षम प्राधिकारी को किसी व्यक्ति से कोई आक्षेप प्राप्त नहीं हुए हैं ;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में, यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि, सभी विल्लंगमों से मुक्त हो कर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी ।

अनुसूची

महाराष्ट्र राज्य के अहमदनगर जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 160 के कि.मी. 98.250 से कि.मी.116.000 तक (शिर्डी-सिन्नर सेक्शन)के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण।

राज्य का नाम: महाराष्ट्र		जिले का नाम: अहमदनगर			
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी/हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6
	तालुक का नाम: राहता				
	गांव का नाम: सावळीविहीर खुर्द				
1	123/1	निजी	अकृषिक	0.07	विश्वात्मक हॉटेल सावळीविहीर खुर्द प्राइवेट लिमिटेड डायरेक्टर प्रभाकर माधव जमधड़े, अजित जुबारलाल कुंकुलोल ()
			कुल	0.07	

[फा. सं. NHAI/BOT-I/11019/1/2010/3D]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th January, 2021

S.O. 199(E).— Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, number S.O. 3914 (E) Dated 29.10.2020, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building (widening/four-laning, etc.), maintenance, management and operation of National Highway No.160 on the stretch of land from Km. 98.250 to Km. 116.000 (Shirdi-Sinnar Section) in the district of AHMEDNAGAR in the state of MAHARASHTRA;

And whereas the substance of the said notification has been published in “Daily Lokmat (Marathi)” and “Daily Lokmat Times (English)” both dated 02.12.2020; under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas no objections has been received from any person by the Competent Authority;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Competent Authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the Competent Authority and in exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the stretch of land from Km.98.250 to Km.116.000 (Shirdi-Sinnar Section) on the National Highway No.160 in the district of AHMEDNAGAR in the state of MAHARASHTRA.

State: MAHARASHTRA			District: AHMEDNAGAR		
Sr. No.	Survey Number	Type of Land	Nature of Land	Area in Hectare	Name of the Land Owner/Interested Person Part Survey No.
1	2	3	4	5	6
	Taluk: Rahata				
	Village: Sawlivihiir Khurd				
1	123/1	Private	Non-Agriculture	0.07	Vishwatmak Hotel Sawalivihiir Khurd Pvt. Ltd. Director Prabhakar Madhav Jamdhade, Ajit Zumbarlal Kunkulol
			TOTAL	0.07	

[F. No. NHAI/BOT-I/11019/1/2010/3D]

RAJESH GUPTA, Director.